न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 57/2021

प्रार्थीनीः– बनाम अप्रार्थीः–

1. प्रेम कंवर पुत्री जेठुसिंह जाति राजपूत निवासी सियाट तहसील सोजत जिला–पाली (राजस्थान)

सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक –28.10.2021

अधिवक्ता मय प्रार्थीया ने एक राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाडिया पटवार हल्का आलावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजत रोड़ तहसील सोजत जिला पाली में वर्तमान खसरा नम्बर 360 रकबा 2.2200 हैक्टर की कृषि भूमि प्रार्थीनी एवं प्रार्थीनी की माता कमला कंवर व अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है, उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित की गई है। प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीनी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थीनी की विरासत में प्राप्त भूमि है। जिस भूमि में प्रार्थीनी का 1/24 वां हक हिस्सा निहित है। जिस भूमि पर प्रार्थीनी 1/24 हक हिस्सा उपयोग उपभोग लगातार बिना किसी बाधा अड़चन के चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थीनी के पिता जेठुसिंह का स्वर्गवास होने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारीयों द्वारा बिना प्रार्थीनी के सही एवं वास्तविक नाम के दस्तावेज का अवलोकन किये व सद्भाविक भूलवश प्रार्थीनी के दस्तावेजी सही वास्ततिक नाम दर्ज नही कर वचपन के लाड प्यार का नाम गुड्डी कंवर दर्ज कर दिया गया। इसलिये राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीनी की माता अनपढ़ एवं निरक्षर होने से प्रार्थीनी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम इन्द्राज न होकर लाड प्यार का नाम गुड्डी कंवर नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थीनी का वास्तविक दस्तावेजी नाम प्रेम कंवर है। प्रार्थीनी को घर परिवार समाज में वचपन में गुड्डी कंवर के नाम से ही पुकारते थे। इसलिये राजस्व कर्मचारीयो द्वारा राजस्व रेकर्ड में वक्त सैंटलमेंट इन्द्राज गुड्डी कंवर दर्ज करने में भूल की है। बल्कि प्रार्थीनी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम प्रेम कंवर ही है तथा प्रार्थीनी को गांव परिवार समाज में प्रेम कंवर के नाम से भी जाना व पहिचाना जाता है। बल्कि प्रार्थीनी के स्वयं मतदाता पहिचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार कार्ड, बैंक खाता, शैक्षणिक दस्तावेज, ग्राम पंचायत सियाट द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

24/12/2020 एवं अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थीनी का नाम प्रेम कंवर ही दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीनी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम प्रेम कंवर ही है अर्थात् वादग्रस्त कृषि भूमि में गुड्डी कंवर, प्रेम कंवर प्रार्थीनी ही है तथा प्रार्थीनी को प्रेम कंवर के नाम से ही सम्बोधित किया जा रहा है। बल्कि प्रार्थीनी के पिता जेठूसिंह के उत्तराधिकारी वारिसान में प्रार्थीनी के अलावा इसी नाम की अन्य कोई पुत्री या वारिस नहीं है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थीनी का नाम प्रेम कंवर के स्थान पर गुड्डी कंवर दर्ज करने की जानकारी प्रार्थीया को पूर्व से नहीं थी। प्रार्थीनी की माता एवं प्रार्थीनी अनपढ़, निरक्षर व्यक्ति होने से तथा राजस्व रेकर्ड की जानकारी नहीं होने उक्त त्रुटि के सम्बन्ध में जानकारी पूर्व में नहीं हो पायी। अभी वर्तमान में दिनांक 08/02/2021 को प्रार्थीनी उपरोक्त कृषि पर ऋण की आवश्यकता होने से सम्बन्धित पटवारी हल्का से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपी चाहने हेतु कहा, जिस पर सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीनी को उक्त भूमि में प्रेम कंवर दर्ज न होकर गुड्डी कंवर नाम दर्ज होने की जानकारी दी। जिस पर प्रार्थीनी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड की वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर प्रार्थीनी को जानकारी हुई कि वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा प्रार्थीनी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम प्रेम कंवर दर्ज न कर गुड्डी कंवर पैन ऑफ मिसटेक, सद्भाविक त्रुटि से दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। जिसे प्रार्थीनी उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये दुरस्त करवाने का अधिकारी है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीनी गुड्डी कंवर का नाम दुरस्त किये जाने से राजस्व रेकर्ड के किसी अन्य सह खातेदारान पर किसी प्रकार का कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही किसी के खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पडेगा। प्रार्थीनी का नाम प्रेम कंवर के स्थान पर गुड्डी दर्ज हो जाने से प्रार्थीनी को कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग एवं सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषक अनुदान राशि इत्यादि योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है व अन्य लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिये वादग्रस्त कृषि भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 360 में प्रार्थीनी का नाम गुड्डी कंवर के स्थान पर प्रेम कंवर दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उक्त राजस्व रेकर्ड में दुरस्ती के सम्बन्ध में प्रार्थी के द्वारा श्रीमान तहसीलदार सोजत के कार्यालय में भी निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा उक्त दूरस्ती श्रीमान के न्यायालय क्षेत्राधिकार का होने से दुरस्त नही किया गया। इसलिये उक्त आशय का प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीनी का नाम गुड्डी कंवर के स्थान पर प्रेम कंवर दर्ज करने से किसी भी सह खातेदारान के हक हिस्से पर किसी प्रकार का कोई विपरीत असर नही पडेगा तथा सह खातेदारान के किसी प्रकार से खातेदारी हक हकूक प्रभावित नहीं होने एवं उनके विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नही होने से पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा बासनी तिलवाडिया में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

का है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थिया ने प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दरतावेजात अन्तर्गत धारा 136 आर0टी0एक्ट0 1956 पेश कर सरहद मौजा वासनी तिलवाड़िया प0ह0 आलावास तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि के खसरा संख्या 360 रकबा 2.2200 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम गुड्डी कंवर पुत्री जेठूसिंह के स्थान पर प्रेम कंवर पुत्री जेठूसिंह किस्म मेहन्दी के नाम से शुद्धि किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने दिनांक 26.10.2021 को जवाब दावा पेश कर प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों का कानूनी होना तथा प्रार्थिया द्वारा स्वयं सिद्ध किया जाना तथा न्यायालय हाजा से सम्बद्ध होना अंकित किया है। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा आलावास के खसरा नम्बर 360 रकबा 2.2200 हैक्टर किस्म मेहन्दी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण वक्त चूंकि बोलचाल/लाडप्यार की भाषा का नाम गुड्डी कॅवर पुत्री जेठाराम गलत रूप से दर्ज कर दिया जबकि ग्राम पंचायत प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 24.12.2020, पैन कार्ड, टी0सी0 रा0मा0वि0 सियाट क्र0स0 32 दिनाक 22.08.1998, एस0बी0आई0 खाता संख्या पास बुक, निर्वाचन फोटो पहचान पत्र संख्या आरजे/21/121/0575440 दिनांक 31.03.1995, राशनकार्ड, आधार कार्ड संख्या 590367649658 तथा प्रार्थिया की माता कमला कंवर एवं सह खातेदार प्रकाश कंवर पत्नि मांगूसिंह पुत्री जेठूसिंह (बहन) का तस्दीक सुदा शपथ पत्र पेश किया, से पुख्ता सावित है कि प्रार्थिया का नाम गुड्डी कंवर पुत्री जेठूसिंह गलत दर्ज है। जिसे राजस्व रेकर्ड गलत रूप से दर्ज गुड्डी कंवर के स्थान पर प्रेम कंवर के नाम से शुद्धि किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को उक्त दुरूस्ती किये जाने पर कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दरतावेजात तथा साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यो की ताईद मे प्रस्तुत उक्त सम्पूर्ण दस्तावेजात प्रार्थीया व सहखातेदार कमला कंवर व प्रकाश कंवर के तस्दीक सुदा शपथ पत्र छाया प्रति प्रार्थीया के राजकीय मा0वि0 सियाट की टी0सी0 प्रमाण पत्र दिनांक 22.08.1998, एसबीबीजे बैंक शाखा सोजत की पासबुक, मतदाता पहचान पत्र, प्रार्थीया के आधार कार्ड की छायाप्रतियॉ आदि का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुत प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा बासनी तिलवाड़िया प0ह0 आलावास, तह0 सोजत के खसरा नंबर 360 रकबा 2.2200 हैक्टर मे सद्भाविक त्रुटिवश सहवन से गलत रूप से दर्ज

उप खण्ड अधिकारी
सोजत जिला-पाली राज.

गुड्डी कंवर पुत्री जेठूसिंह का नाम दुरूस्त कर प्रेम कंवर पुत्री जेठूसिंह वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

—:आदेश:—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बासनी तिलवाडिया प0ह0 आलावास, तह0 सोजत के खसरा नंबर 360 रकबा 2.2200 हैक्टर किस्म मेहन्दी में लिपिकीय सदभाविक त्रुटिवश सहवन से प्रार्थीया का नाम प्रेमकंवर के स्थान गुड्डी कंवर दर्ज हो गया है। अतः उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड वर्तमान में गलत प्रविष्टि गुड्डी कंवर पुत्री जेठूसिंह के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम प्रेम कंवर पुत्री जेठूसिंह दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के

साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.